भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 334
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023/15 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

जेम पोर्टल

334 **ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.) :**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर क्रेताओं के रूप में सहकारी समितियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को किस प्रकार सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और सुव्यवस्थित कर रहा है;

(ख) जेम प्लेटफार्म पर सहकारी समितियों के निर्बाध पंजीकरण को प्रोत्साहित करने और सुगम बनाने के लिए की गई विशिष्ट पहलों और उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जेम पंजीकरण से सहकारी समितियां किस प्रकार लाभान्वित होंगी और इससे विशेषकर खरीद और बाजार तक पहुंच के संदर्भ में कौन-कौन से अवसर प्राप्त होते हैं; और

(घ) जेम मंच पर सहकारी समितियों की भागीदारी के प्रभाव को दर्शाने वाले आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): मंत्रालय विविध तरीको से सहकारी समितियों को जेम पर क्रेता के रूप में पंजीकृत होने को सक्रिय रूप से प्रेरित और व्यवस्थित कर रहा है । जेम प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI), सहकारी समितियों के केंद्रीय और राज्य पंजीयकों सहित सभी हितधारक सहकारी समितियों की सुचारू पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल कर रहे हैं । इनमें से कुछ पहल निम्नलिखित हैं –

(i) सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग में सहायता के लिए समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित करने के अलावा, जेम और एनसीयूआई द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों में संबंधित हितधारकों के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों के लिए केंद्रित पक्ष-समर्थन, आउटरीच और जागरुकता पहल करना,

(ii) सहकारी समितियों के पंजीयक के माध्यम से क्रेता पंजीकरण, सहयोग और प्रशिक्षण प्रणाली/सामग्री हेतु जेम और NCUI के नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण को सहकारी समितियों के साथ साझा किया गया है,

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयकों को परामर्शिका जारी किया गया है और उनसे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी समितियों को ऑनबोर्ड होने के लिए प्रोत्साहित करें ।

(ग): जेम के माध्यम से खरीद पर सहकारी समितियों को खुली व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर 67 लाख से ज्यादा विक्रेताओं से माल व सेवाओं की प्राप्ति होगी जिससे इन समितियों के सदस्यों को आर्थिक फायदा होगा । जेम पर मानक प्रक्रिया का अनुपालन करके खरीददारी में लगने वाले समय की बचत होगी और प्रशासनिक बोझ में कमी आएगी । इससे पारदर्शिता बढ़ाकर सहकारी समितियों के विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी ।

(घ): सहकारी समितियों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण में, ए-ग्रेड संपरीक्षण रेटिंग (जहां कहीं लागू हो) के साथ नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक की टर्नओवर/जमाराशि वाली 618 सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों को जेम पर ऑनबोर्डिंग के लिए चिह्नित किया गया है । दिनांक 15 नवम्बर, 2023 तक 559 सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है ।

*****